



**नियम एवं शर्तें**

- (1) पंजीकरण/आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु प्रदेशन/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से देय निर्धारित मासिक किश्तों का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में पंजीकरण/आवंटन निरस्त माना जायेगा।
- (2) नियमित भुगतान के उपरान्त किराया किश्त क्रय अनुबन्ध रु० \_\_\_\_\_ के स्टाम्प पर निष्पादित कराया जायेगा, आवास बन्धु, 30प्र० द्वारा निर्गत मार्गदर्शक बिन्दु संख्या-8.10 के अनुसार भवन की सम्पूर्ण मूल्य का \_\_\_\_\_ प्रतिशत धनराशि रु० \_\_\_\_\_ भवन के नियमित अनुक्षण हेतु तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुक्षण कार्य हेतु भवन के मूल्य का \_\_\_\_\_ प्रतिशत धनराशि रु० \_\_\_\_\_ कार्पस फण्ड के मद में जमा करने के उपरान्त भवन का भौतिक कब्जा प्रदान करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (2-1) कोई लाभार्थी समस्त किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र के निर्गमन के तीन माह में कर दिया जाता है तब भी भवन का वास्तविक कब्जा \_\_\_\_\_ माह में दिया जाना प्रस्तावित होगा।
- (2-2) किश्तों पर भुगतान करने वाले लाभार्थी किश्तों का नियमानुसार भुगतान अनवरत रखेंगे।
- (2-3) सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही रु० \_\_\_\_\_ के स्टाम्प पर नियमानुसार पंजीयन होगा।
- (3) आवेदक के पक्ष में प्लैट/भवन आवंटन की शेष धनराशि रु० \_\_\_\_\_ पर \_\_\_\_\_ प्रतिशत ब्याज एवं जी०एस०टी० सहित \_\_\_\_\_ वर्ष (\_\_\_\_\_ मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा। किश्तों की धनराशि ससमय जमा न करने पर आवंटी को साधारण ब्याज के साथ-साथ \_\_\_\_\_ प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी।
- (4) 30प्र० भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गम से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम-2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
- (5) आवंटी व उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है, इसका प्रमाण पत्र विलेख निष्पादन के समय आवंटी को स्वयं उपस्थित होकर देना होगा।
- (6) आवंटी आवंटित प्लैट/भवन को किसी भी पट्टा हस्तान्तरण या किराये पर नहीं देगा तथा विक्रीत नहीं किया जायेगा।
- (7) आवंटी द्वारा आवंटित भवन का कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा अन्यथा नियमानुसार रु० \_\_\_\_\_ प्रतिदिन की दर से रख रखाव शुल्क देय होगा।
- (8) प्रदेशन/मांग पत्र में अंकित मासिक किश्तों एवं कार्पस फण्ड/अनुक्षण मद/जी०एस०टी० की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा निर्धारित बैंक, की किसी भी शाखा में जमा कर रसीद प्रस्तुत करना होगा।
- (9) अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण विवरण पुस्तिका के अनुसार होंगी।
- (10) समय-समय पर नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (11) शासन द्वारा सम्पत्ति के मूल्य में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो तदानुसार बढे हुए मूल्य का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- (12) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा एवं किसी भी प्रकार वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

शुभकामनाओं सहित।

website: [www.upavp.in](http://www.upavp.in)  
office E-mail: [avadhvihariko@upavp.com](mailto:avadhvihariko@upavp.com)